

डिगरी बमुकदमें इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. प्रहलादसिंह पुत्र नारायणसिंह
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
3. अमरता कंवर पुत्री नारायणसिंह
4. उगम कंवर पुत्री नारायणसिंह
5. मुनाकंवर पुत्री नारायणसिंह
6. धापकंवर पत्नि नारायणसिंह
7. मोहब्बतसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण राव निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भैरूसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2022/373
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 760 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	अमरता कंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, उगम कंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह हि. 1/12, धाप कंवर पत्नि नारायणसिंह हि. 1/12, प्रहलादसिंह पुत्र नारायणसिंह हि. 1/12, मुनाकंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, मोहब्बतसिंह पुत्र खीमसिंह हि. 1/12, जाति राव सा. देह खातेदार.	760	0.3150	चाही प्रथम 0.25 जाव अब्वल 0.0650	10.25 0.91	Pink
	योग	1	0.3150	-	11.16	
2	भैरूसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राव सा. देह खातेदार	760	0.3150	चाही प्रथम 0.25 जाव अब्वल 0.0650	10.25 0.91	wooden
	योग	1	0.3150	-	11.16	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादप्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-07-24को जारी की गई।



(दिनेश विश्वाई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की सामिल में जारी
हुये

19 07
24

पत्रावली पेश हुई।

वकील वादीगण उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादीगण ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील वाली के खसरा नंबर 760 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	अमरता कंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, उगम कंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह हि. 1/12, धाप कंवर पत्नि नारायणसिंह हि. 1/12, प्रहलादसिंह पुत्र नारायणसिंह हि. 1/12, मुनाकंवर पुत्री नारायणसिंह हि. 1/12, मोहबबतसिंह पुत्र खीमसिंह हि. 1/12, जाति राव सा. देह खातेदार.	760	0.3150	चाही प्रथम 0.25 जाव अब्वल 0.0650	10.25 0.91	Pink
	योग	1	0.3150	-	11.16	
2	भेरूसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राव सा. देह खातेदार	760/1	0.3150	चाही प्रथम 0.25 जाव अब्वल 0.0650	10.25 0.91	wooden
	योग	1	0.3150	-	11.16	



तहसीलदार वाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-07-24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

सहायक कमिश्नर एवं पेटेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्दादाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाक्का दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नाई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. प्रहलादसिंह पुत्र नारायणसिंह
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
3. उगमकंवर पुत्री नारायणसिंह
4. अमरताकंवर पुत्री नारायणसिंह
5. मुनाकंवर पुत्री नारायणसिंह
6. धापकंवर पत्नी स्व. नारायणसिंह
7. मोहब्बतसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण राव निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भैरूसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/373

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 760 रकबा 0.6300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अब्बल कुल लगान 22.3200 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज वादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 07 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानों तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमोंक: रा.म./न्याय/स्था./प-51/2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशों की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक-पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामिलत में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक-पृथक रंगों से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेंगे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 13.05.

2024 को पेश हो।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.04.2024 को जारी किया गया।



(दिनेश विश्नाई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली